



2026:AHC:18871

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 287/2026

जिया लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: कैलाश नाथ सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2/उप निदेशक चकबंदी, जिला जौनपुर को यह आदेश और निदेश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 1380 [जिया लाल एवं अन्य बनाम गुरु प्रसाद एवं अन्य], उ.प्र.च.जो.अ. की धारा 48(1) के अंतर्गत, में स्थगन आवेदन का विनिश्चय करे और स्थगन आवेदन के निस्तारण तक प्रत्यर्थी संख्या 3/चकबंदी अधिकारी, सदर (नियम 109), जिला जौनपुर को कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 202554143658040231 [सोचन एवं अन्य बनाम राज्य], उ.प्र.च.जो.नियम के नियम 109(ए) के अंतर्गत, में आगे कार्यवाही करने और विनिश्चय करने से रोका जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को, यदि उक्त मामले को शीघ्रता से विनिश्चित करने का निदेश जारी किया जाए तो, कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः इस न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाए कि वे उक्त मामले का विनिश्चय, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः **15 दिन** की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार कड़ाई से शीघ्रता से करें।

5. मामले से विलग होने से पूर्व, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन आवेदन पर आदेश पारित होने तक सीमित अवधि के लिए अंतरिम संरक्षण का आग्रह किया है।

6. वर्तमान मामले की विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे एक माह की अवधि के लिए या स्थगन आवेदन पर निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, स्थान पर यथास्थिति बनाए रखें। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, आज के आदेश से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से अपने गुण-दोष पर स्थगन आवेदन पर विचार करके उचित आदेश पारित करेगा।

7. उपरोक्त निदेश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

28 जनवरी, 2026

विकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)